प्रेस नोट दि0-14.06.2025 जनपद प्रतापगढ

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन
एसपी(पूर्वी) एवं सीओ नगर के मार्गदर्शन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार
लगभग सवा सौ लोगों से करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
फर्जी कम्पनी खोलकर लोगों से धोखाधड़ी व अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से बड़ी धनराशि का अनुचित लेन-देन व धमकी देने के प्रकरण में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कूटरचित दस्तावेज बरामद
थाना अन्तू पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत बहेलियापुर रोड पर ओमप्रकाश दुबे के मकान के करीब 200 सौ मीटर आगे के पास से 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-
थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगण द्वारा नव ज्योति प्रापर्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 बाबूगंज थाना अन्तू जिला प्रतापगढ़ के नाम से एक बैंक खोला था जिसमें प्रार्थी प्रतिदिन 200/-रू0 के हिसाब से जमा करता था। प्रार्थी का कुल 1,30,000/- रू0 जमा किया। प्रार्थी का समय पूरा होने पर अपना पैसा लेने गया तो उपरोक्त मक्खन लाल व कन्हैया लाल ने कहा कि एक हफ्ते बाद आना। प्रार्थी जब बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि नव ज्योति प्रापर्टी डेवलपर्स प्रा0लि0 बैंक जो कि फ्राड जाल साजी, ठग बैंक थी जो हमारी लोगों की पैसा लेकर भाग गयी है। अनुचित लेन देन करना व धमकी देने के संबं,ा में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैस के पर्यवेक्षण व* थाना प्रभारी आनन्द पाल* के नेतृत्व में उप निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थानाक्षेत्र के बहेलियापुर रोड पर ओमप्रकाश दुबे के मकान के करीब 200 सौ मीटर आगे अभियोग से सम्बन्धित 01. मक्खन लाल पुत्र स्वामीनाथ निवासी ग्राम बाबूगंज थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ 2. सचिन कुमार कौशल पुत्र श्री राजकुमार कौशल निवासी ग्राम अठगवां मिश्रान अंतू रेलवे स्टेशन रोड थाना अंतू जनपद को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.06.2025 को थाना अन्तू के उप निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 191/25 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1. मक्खन लाल पुत्र स्वामीनाथ निवासी ग्राम बाबूगंज थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ 2. सचिन कुमार कौशल पुत्र श्री राजकुमार कौशल निवासी ग्राम अठगवां मिश्रान अंतू रेलवे स्टेशन रोड थाना अंतू जनपद को थानाक्षेत्र बहेलियापुर रोड पर ओमप्रकाश दुबे के मकान के करीब 200 सौ मीटर आगे के पास से   गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-
पकड़े अभियुक्तों से नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कूटरचित दस्तावेज बरामद कराने हेतु कहा गया तो मक्खन लाल द्वारा बताया गया। सारे कूट रचित दस्तावेज जो हमने नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर बनाए हैं। वह मेरे बाबूगंज बाजार स्थित घर पर रखा हुआ है। अतः दोनों अभियुक्तों को साथ लेकर मय हमराहियांन के अभियुक्त मक्खन लाल के घर पर उपस्थित आया अभियुक्त मक्खन लाल द्वारा घर में रखे हुए कूट रचित दस्तावेज बरामद कराया।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 191/24 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ।

बरामदगीः-
बरामद कूट रचिद दस्तावेज का विवरण-
1 नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित डेली पैसा जमा करने का रजिस्टर 28 अदद,
2 - नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित सादा पासबुक जो अभियुक्त गणों द्वारा ग्राहकों को दिया जाता था कुल- 179 अदद
3- नव ज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ग्राहकों को ज्वाइन कराने एवं पैसा जमा कराने का फॉर्म कुल 198 अदद,
4- नव ज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित ग्राहकों को काटकर दी गई पुरानी रसीद की कार्बन प्रति जिल्द- 20 अदद,
5- नवज्योति प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित स्वयं सहायता समूह की एजेंट द्वारा पाक्षिक जमा भुगतान की रसीद कुल 70 अदद,
6- अभियुक्त गणों द्वारा ग्राहकों का लिया गया आधार कार्ड की फोटो प्रति वह अन्य आईडी कुल - 73 अदद,
7- अभियुक्त गणों द्वारा तैयार किया गया कूट रचित लेजर / अकाउंट रजिस्टर - 2 अदद
8- एक अदद सादी रसीद स्वयं सहायता समूह ब्याज/ लोन वसूली प्रपत्र- 1 अदद, एवं दूसरी कंपनियों से संबंधित कूट रचित दस्तावेज भी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मक्खन लाल पुत्र स्वामीनाथ निवासी ग्राम बाबूगंज थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़
2- सचिन कुमार कौशल पुत्र श्री राजकुमार कौशल निवासी ग्राम अठगवां मिश्रान अंतू रेलवे स्टेशन रोड थाना अंतू जनपद

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण- उप निरीक्षक शुभनाथ साहनी मय हमराह कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल मनीष कुशवाहा, कांस्टेबल नागेंद्र यादव, महिला आरक्षी दीपिका त्रिपाठी मय आरक्षी चालक उपेंद्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कन्धई पुलिस द्वारा दुष्कर्म, के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कन्धई पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के रखहा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा दिनांक 14.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351(2)/(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, सुनील कुमार मिश्रा पुत्र सूर्यनारायण मिश्रा निवासी ग्राम भवसरनपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के रखहा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के वैध प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.सुनील कुमार मिश्रा पुत्र सूर्यनारायण मिश्रा निवासी ग्राम भवसरनपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ

जनपद में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश - 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 04 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर वाहन चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार 03 अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया से चांदारोड के पास गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शादी समारोहों के दौरान मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में संलिप्त थे।
अभियुक्तों से कुल 04 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की गई मोटरसाइकिलें कबाड़ी को बेचने की बात स्वीकार की।
वाहन चोरी कर बेचने से अर्जित धन से अभियुक्त अपने निजी खर्चे व शौक पूरे करते थे।
पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई घेराबंदी में अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पट्टी पर BNS की धारा 317(2)/317(4)/317(5) में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 रोहत यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह, का0 हरिकेश पाल, का0 अभिषेक यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 1. राकेश कुमार गौड पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 2. आर्यन निषाद पुत्र अर्जुन निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष, 3.असफाक अहमद पुत्र नन्हू निवासी ग्राम नोही थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया से चांदारोड के पास गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0175/25 धारा317(2)/ 317(4)/317(5) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ करने पर पहले अभियुक्त राकेश कुमार गोड़ उपरोक्त के कब्जे से मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस ब्लैक कलर तथा दूसरे आर्यन निषाद उपरोक्त के कब्जे से अभियुक्त मोटर सायकिल HERO HF DELUXE तथा तीसरे अभियुक्त असफाक अहमद उपरोक्त के कब्जे से HF DELUXE मिली एवं पास में कुछ दूरी पर मौजूद एक मोटरसाइकिल वाहन स्पेलेन्डर प्लस मिली है।

अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ करने पर बताया मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर ब्लैक कलर को हम लोगो ने बदलापुर के मिरतासपुर गांव से एक शादी समारोह से चोरी कर लिया था। मोटर साइकिल HERO HF DELUXE को बेदूपारा थाना लम्भुआ तथा मोटर साइकिल HF DELUXE हनुमानगंज थाना कोतवाली देहात से तथा मोटर साइकिल थाना क्षेत्र चांदा जनपद सुल्तानपुर से शादी समारोह से चोरी किया है।

सभी लोगों ने बताया कि हम लोगो का एक गिरोह है, हम लोग शादी समारोह से ज्यादातर मोटर साइकिलों की चोरी करके कबाड़ी का काम करने वाले की दुकान नन्दगंज बाजार थाना लम्भुआ क्षेत्र मे स्थित है। उसको चोरी के वाहनो को हम लोग बेच देते है तथा वह हम लोगों को मोटर साइकिलों के बदले में उसका पैसा दे देता है। जिससे हम लोग अपना खान-खर्च व शौक को पूरा करते है। आज हम तीनों लोगों ने चारो मोटसाइकिलों को बेचने के लिये कबाड़ी से बातचीत किये है, तथा उसने बताया कि मैं कुछ समय में आ रहा हूँ। उसी के इन्तजार में हमलोग यहां मोटर साइकिलों के साथ मौजूद थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. राकेश कुमार गौड पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।
02. आर्यन निषाद पुत्र अर्जुन निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।
03.असफाक अहमद पुत्र नन्हू निवासी ग्राम नोही थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-
चोरी की 04 अदद मोटर साइकिल बरामद।
01. मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस ब्लैक कलर,
02. मोटर सायकिल HERO HF DELUXE कलर रेड ब्लैक,
03. HF DELUXE रंग काला नीला,
04. मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस रंग काला बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रोहत यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह, का0 हरिकेश पाल, का0 अभिषेक यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 पंकज वर्मा मय हमराह का0 आशीष कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं0 234/17 मु0अ0सं0 202/16 धारा 302 भादवि से संबंधित 01 वारंटी अब्दुल अजीज पुत्र मुंशीरजा निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अब्दुल अजीज पुत्र मुंशीरजा निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पंकज वर्मा मय हमराह का0 आशीष कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 आशु मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान के0नं0 17106/21 मु0अ0स0 120/2010 धारा 323/325/504/506/427 भादवि से संबंधित वारंटी 01.राजू उर्फ जय प्रकाश पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम निम्हा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को कस्बा कोहंडौर के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 आशु मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान के0नं0 11056 / 21 मु0अ0स0 14 / 05 धारा 504/506 भादवि से संबंधित वारंटी 01. श्यामलाल पुत्र भगौतीदीन निवासी ग्राम हथसारा थाना थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. राजू उर्फ जय प्रकाश पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम निम्हा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
02. श्यामलाल पुत्र भगौतीदीन निवासी ग्राम हथसारा थाना थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आशु मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ

लूट की घटना का खुलासा — सांगीपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 01 अपराधी गिरफ्तार, लूट के ₹5000 नकद व 01 जोडी पायल सफेद धातु बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत गोड़वा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पटखौली (गदियान) को दिनांक 12.06.2025 को वादी एवं उसकी लड़की सांगीपुर बाजार से सामान लेकर घर जा रहे थे कि जावेद नर्सिंग होम के पास पहुंचते ही पीछे से एक मोटरसाइकिल पर तीन लड़के आए और हम लोग की गाड़ी (मोटरसाइकिल) रोक दिए और वादी की लड़की के हाथ से बैग लूट लिए और जान से मारने की धमकी दी। जिसके संबंध में वादी की तहरीर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 309 (4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में टीमे गठित की थी। इसी क्रम में गठित टीमों व थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना से संबद्ध अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार सतत प्रयास किए जा रहे थे। टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।

उक्त घटना पर संभावित साक्ष्य संकलन हेतु वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकी संसाधनों का प्रयोग किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व नें उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का० मुकेश कुमार व का० कुलदीप पाल द्वारा दिनांक 14.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2025 धारा 309 (4) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, रमजान अली पुत्र वाहिद अली निवासी सूबेदार का पूरवा गोड़वा थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 को थानाक्षेत्र सांगीपुर के गोड़वा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 5000 रूपये व 01 जोडी पायल सफेद धातु बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि पैसा और पायल को अपने दो साथियों के साथ दिनांक 12.06.2025 को जावेद नर्सिंग होम के पास से एक महिला का पर्स लूट थे। उसी लूट में हमें हमको हिस्सा मिला है पर्स से जो गहने और रुपए मिले थे। आज अपने दोनों साथियों का इंतजार कर रहा था। हम लोग आज फिर लूट करने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रमजान अली पुत्र वाहिद अली निवासी सूबेदार का पूरवा गोड़वा थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 19।

बरामदगी-
लूट के ₹5000 नकद व 01 जोडी पायल सफेद धातु बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का० मुकेश कुमार व का० कुलदीप पाल थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के रहमत अली तिहारे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 08.06.2025 को ग्राम मिरगडवा में वादी की बहन को आरोपीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना मानिकपुर में अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 नरेन्द्र यादव, का0 रणजीत सिंह द्वारा दिनांक 14.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2) /65(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3(2) 5, 3(2) 5A एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, इम्तियाज़ पुत्र बब्लू हत्था निवासी मिरगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के रहमत अली तिहारे के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में 65(1) बीएनएस व धारा 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5A एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- इम्तियाज़ पुत्र बब्लू हत्था निवासी मिरगढ़वा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 नरेन्द्र यादव, का0 रणजीत सिंह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 अश्विनी कुमार पटेल मय हमराह का0 राजू गौड़, का0 अरुण कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केस नं0-5508/04 अ0सं0 129/91 धारा 323/325/504 भादवि से संबंधित 01 वारंटी अरुण कुमार पुत्र कमला प्रसाद दूबे निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अरुण कुमार पुत्र कमला प्रसाद दूबे निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अश्विनी कुमार पटेल मय हमराह का0 राजू गौड़, का0 अरुण कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना-लालगंज, जनपद- प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत पटेरियापुर तिराहा के पास थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल व 700 रुपये बरामद, घटना मे प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद

घायल अभियुक्त आमिर खान उर्फ गोलू पर जनपद प्रतापगढ़ में गौवध अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धोखाधड़ी जैसे लगभग 04 अभियोग पंजीकृत है।

घायल अभियुक्त आमिर खान उर्फ गोलू उपरोक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां घायल अभियुक्त का इलाज चल रहा है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 13.06.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व CO लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व मे थाना लालगंज पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत पटेरियापुर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त आमिर खान उर्फ गोलू पुत्र इस्लाम नि0ग्राम मदनगढ़, बेलहा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष के पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया तथा अभियुक्त वसीर पुत्र मुसाफिर नि0ग्राम सरदार का पुरवा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के दौरान घायल आमिर खान उर्फ गोलू उपरोक्त का दवा इलाज जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में चल रहा है।

अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल व 700 रुपये बरामद, घटना मे प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद की गई। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त आमिर खान उर्फ गोलू पुत्र इस्लाम नि0ग्राम मदनगढ़, बेलहा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 103/21 धारा 3/5क/8 गौैवध अधिनियम व 11क पशु क्रूरता अधिनियम भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 742/22 धारा 3/5/8 गौैवध अधिनियम व 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
3.मु0अ0सं0 36/23 धारा 411, 419,420,467,468,471 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
4.मु0अ0सं0 424/24 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
लूट का 01 मोबाइल व 700 रुपये बरामद, घटना मे प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव मय हमराह थाना लालगंज व एसओजी टीम जनपद प्रतापगढ़।